

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 902/2021

अनवान : -

1. श्रीकिशन पुत्र रामकुमार जाति सैनी निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर।

- वादी

**बनाम**

1. गौरीशकर पुत्र लालचंद जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र लालचंद जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
3. रामलाल पुत्र लालचंद जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
4. रामस्वरूप पुत्र लालचंद जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
5. इन्द्रा देवी पत्नी बजरंग लाल जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
6. चन्दो देवी पत्नी श्रीकिशन जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
7. बजरंग लाल पुत्र रामकुमार जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
8. राजकुमार पुत्र रामकुमार जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
9. श्यामलाल पुत्र रामकुमार जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
10. राणी देवी पत्नी श्यामलाल जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
11. सिलोचना पत्नी राजकुमार जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 02/06/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 22 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 30/29 की कुल 10.6260 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते हैं इसलिए हक हिस्सा व किस्म भूमि के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व किस्म भूमि के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा चक 22 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 30/29 की कुल 10.6260 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगान अलग अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 11 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर  
Rahul

किया गया की वाद भूमि बाबत पक्षकारान का कभी झगडा नही हुआ है एवं उत्तरदातागण ने अपने हक व हिस्सा की भूमि को सुधार कर ढाणी बना रखी है एवं अपने परिवार के साथ आबाद है एवं अपने कब्जा काशत की भूमि को सुधार कर उपजाउ बना रखा है। इसलिए मुताबिक कब्जा काशत व हक हिस्सा के खाता व लगान अलग किया जावे एवं रोही मौजा चक 22 एनटीआर के प0न0 337/420 मु0न0 43 के किला न0 21 में से प्रवेश कर दक्षिण तरफ से 2-2 बिस्वा रास्ता से अपने खेत मं प्रवेश करता है हमेशा से ही वादी इसी रास्ता से आवामन करता आ रहा है एवं प0न0 437/420 मु0न0 43 के किला न0 16 ता 20 तथा प0न0 338/420 मु0न0 20 के किला न0 20 में दक्षिणी तरफ छोड़े गये 2-2 बिस्वा रास्ता से कभी भी आवागमन नही रहा है।

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की तनकीआत कायम न कर साक्ष्य करवाया जावे।

साक्ष्य में वादी व प्रतिवादीगण द्वारा द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर पर जिरह सुनी गई। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया। दिनांक 09.05.2025 को प्राप्त विभाजन पर ऐतराज पेश होने पर ऐतराज स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को पुन विभाजन हेतु लिखा गया। तहसीलदार द्वारा पुन विभाजन प्रेषित किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 22 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 30/29 की कुल 10.6260 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 गौरीशंकर पुत्र लालचन्द हि0 1/4 जाति सैनी सा0 नोहर खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर, जगदीश पुत्र लालचन्द हिस्सा— 1/4 जाति— सैनी सा. नोहर खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सैक्टर—5 नोहर, रामलाल पुत्र लालचन्द हिस्सा 1/4 जाति— सैनी सा. नोहर खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा परलीका, रामस्वरूप पुत्र लालचन्द हिस्सा 1/4 जाति— सैनी सा. नोहर खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर — प0म0 22 एनटीआर के चक 22 एनटीआर के प0न0 336/419 मु0न0 31 किला न0 15-16-25 की 0.7590 हैक्ट, प0न0 337/419 मु.न. 32 कि.न. 11-12 की 0.5060 हे. 19 ता 22 की 1.0120 हे. प.न. 338/420 मु.न. 42 कि.न. 10-11 की 0.5060 हे. प.न. 337/419 मु.न. 43 कि.न. 6-11-12-15-19-20 की 1.5180 हे. प.न. 336/420 मु.न. 44 कि.न. 5-6 की 0.5060 हे. कि.न. 15/2 की 0.2280 हे. 16/2 की 0.2280 हे. प.न. 337/419 मु.न. 32 कि.न. 13/1 की 0.050 हे. कुल रकबा 5.3130 हे. भूमि जिसमे 5.1620 हे. नहरी व 0.1510 हे. गे.मु. खाला
- 2 इन्द्रादेवी पत्नि बजरंगलाल हिस्सा—253/5313 जाति— सैनी सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा नोहर, चन्दोदेवी पत्नि श्रीकिशन हिस्सा 253/5313

उपसष्ट अधिकारी  
नोहर

जाति- सैनी सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा नोहर, बजरंगलाल पुत्र रामकुमार हिस्सा 10753/53130 जाति- ते- सैनी सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा नोहर, राजकुमार पुत्र रामकुमार हिस्सा 10753/53130 जाति- सैनी सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा नोहर, राणीदेवी पत्नि श्यामलाल हिस्सा-253/5313 जाति- सैनी सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा नोहर, श्यामलाल पुत्र रामकुमार हिस्सा-10731/53130 जाति सैनी सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा नोहर, श्री किशन पुत्र रामकुमार हिस्सा-10731/53130 जाति सैनी सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा नोहर, सिलोचना पत्नि राजकुमार हिस्सा-253/5313 जाति- सैनी सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा नोहर - प.म. 22 एनटीआर के चक 22 एनटीआर के प.न. 337/419 मु.न. 32 कि.न. 13/2 की 0.2030 हे. 18 की 0.2530 हे. 23-24-25 की 0.7590 हे. प.न. 337/420 मु.न. 43 कि.न. 1 ता 5 की 1.2650 हे. 7 ता 10 की 1.0120 हे. 13-14 की 0.5060 हे. 16/2 की 0.2280 हे. 17/2 की 0.2280 हे. 18/2 की 0.2280 हे. प.न. 338/420 मु.न. 42 कि.न. 1 की 0.2530 हे. 20/2 की 0.2280 हे. मु.न. 44 कि.न. 16/1 की 0.0250 हे. गे.मु. खाला 15/1 की 0.0250 हे. गे.मु. खाला प्रस्तावित रास्ता मु.न. 43 कि.न. 16/1 की 0.0250 हे. 17/1 की 0.0250 हे. 18/1 की 0.0250 हे. मु.न. 42 कि.न. 20/1 की 0.0250 हे. फल रकवा 5.3130 हे. भूमि जिसमे 5.1630 हे. नहरी भूमि व प्रस्तावित रास्ता 0.100 हे. भूमि व गे.मु. खाला 0.050 हे. भूमि

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 02/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Rahul*  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 902/2021

अनवान : -

1. श्रीकिशन पुत्र रामकुमार जाति सैनी निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर।

- वादी

### बनाम

1. गौरीशकर पुत्र लालचंद जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र लालचंद जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
3. रामलाल पुत्र लालचंद जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
4. रामस्वरूप पुत्र लालचंद जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
5. इन्द्रा देवी पत्नी बजरंग लाल जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
6. चन्दो देवी पत्नी श्रीकिशन जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
7. बजरंग लाल पुत्र रामकुमार जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
8. राजकुमार पुत्र रामकुमार जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
9. श्यामलाल पुत्र रामकुमार जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
10. राणी देवी पत्नी श्यामलाल जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
11. सिलोचना पत्नी राजकुमार जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 902 सन 2021 निर्णय दिनांक 02/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 22 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 30/29 की कुल 10.6260 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


1. गौरीशंकर पुत्र लालचन्द हि0 1/4 जाति सैनी सा0 नोहर खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर, जगदीश पुत्र लालचन्द हिस्सा- 1/4 जाति- सैनी सा. नोहर खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सैक्टर-5 नोहर, रामलाल पुत्र लालचन्द हिस्सा 1/4 जाति- सैनी सा. नोहर खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा परलीका, रामस्वरूप पुत्र लालचन्द हिस्सा 1/4 जाति- सैनी सा. नोहर खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर - प0म0 22 एनटीआर के चक 22 एनटीआर के प0न0 336/419 मु0न0 31 किला न0 15-16-25 की 0.7590 हैक्ट, प0न0 337/419 मु.न. 32 कि.न. 11-12 की 0.5060 हे. 19 ता 22 की 1.0120 हे. प.न. 338/420 मु.न. 42 कि.न. 10-11 की 0.5060 हे. प.न. 337/419 मु.न. 43 कि.न. 6-11-12-15-19-20 की 1.5180 हे. प.न. 336/420 मु.न. 44 कि.न. 5-6 की 0.5060 हे. कि.न. 15/2 की 0.2280 हे. 16/2 की 0.2280 हे. प.न. 337/419 मु.न. 32 कि.न. 13/1 की 0.050 हे. कुल रकबा 5.3130 हे. भूमि जिसमे 5.1620 हे. नहरी व 0.1510 हे. गे.मु. खाला

*Rahul*  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

2 ईन्द्रादेवी पत्नि बजरंगलाल हिस्सा-253/5313 जाति- सैनी सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा नोहर, चन्दोदेवी पत्नि श्रीकिशन हिस्सा 253/5313 जाति- सैनी सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा नोहर, बजरंगलाल पुत्र रामकुमार हिस्सा 10753/53130 जाति- ते- सैनी सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा नोहर, राजकुमार पुत्र रामकुमार हिस्सा 10753/53130 जाति- सैनी सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा नोहर, राणीदेवी पत्नि श्यामलाल हिस्सा-253/5313 जाति- सैनी सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा नोहर, श्यामलाल पुत्र रामकुमार हिस्सा-10731/53130 जाति सैनी सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा नोहर, श्री किशन पुत्र रामकुमार हिस्सा-10731/53130 जाति सैनी सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा नोहर, सिलोचना पत्नि राजकुमार हिस्सा-253/5313 जाति- सैनी सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा नोहर - प.म. 22 एनटीआर के चक 22 एनटीआर के प.न. 337/419 मु.न. 32 कि.न. 13/2 की 0.2030 हे. 18 की 0.2530 हे. 23-24-25 की 0.7590 हे. प.न. 337/420 मु.न. 43 कि.न. 1 ता 5 की 1.2650 हे. 7 ता 10 की 1.0120 हे. 13-14 की 0.5060 हे. 16/2 की 0.2280 हे. 17/2 की 0.2280 हे. 18/2 की 0.2280 हे. प.न. 338/420 मु.न. 42 कि.न. 1 की 0.2530 हे. 20/2 की 0.2280 हे. मु.न. 44 कि.न. 16/1 की 0.0250 हे. गे.मु. खाला 15/1 की 0.0250 हे. गे.मु. खाला प्रस्तावित रास्ता मु.न. 43 कि.न. 16/1 की 0.0250 हे. 17/1 की 0.0250 हे. 18/1 की 0.0250 हे. मु.न. 42 कि.न. 20/1 की 0.0250 हे. फल रकवा 5.3130 हे. भूमि जिसमे 5.1630 हे. नहरी भूमि व प्रस्तावित रास्ता 0.100 हे. भूमि व गे.मु. खाला 0.050 हे. भूमि

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर